169

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1613—एक/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21—05—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार अम्बाह जिला—मुरैना के प्रकरण क्रमांक 04/अ—6/2011—12

श्रीमती रानी बाई पत्नी श्री गोविन्द सिंह तोमर,
निवासी—ग्राम बल का पुरा मौजा थरा तहसील—अम्बाह
जिला—मुरैना (म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1— महेश सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह ठाकुर,
निवासी—ग्राम थरा तहसील—अम्बाह
जिला—मुरैना (म0प्र0)

2— रामप्रकाश पुत्र श्री सन्तोखा काछी,
निवासी—श्रीकृष्ण नगर चैक पोस्ट वैरियर
के पास मुरैना (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, आवेदिका
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
अनावेदक —2 पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश
(आज दिनांक 18-11-2016 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार अम्बाह जिला—मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—05—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम थरा तहसील अम्बाह स्थित विवादित भूमि सर्वे क्र0 884 रकबा 0.81 आरे भूमि जिसका बंदोबस्त से पूर्व का पूराना सर्वे क्र0 60 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा में से रकबा 0.24 आरे की आवेदिका भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारिणी है। उपरोक्त भूमि में से 0.12 विस्वा भूमि अनावेदक क्र0 2 रामप्रकाश के शासकीय भू—अभिलेख में

अंकित चली आ रही है। उक्त विवादित भूमि आवेदिका के पति को अनावेदक क्र0 2 रामप्रकाश व उसके भाई रामकरन ने एक लाख रुपये में विक्रय की गई। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक क्र0 1 ने नामांतरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर आवेदिका ने आपत्ति प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय तहसीलदार अम्बाह जिला–मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–6/2011–12 पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 21–05–2014 को अनावेदक की साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत कर दिया। इसी आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में साक्ष्य व प्रतिपरीक्षण का समय मांगा गया साक्ष्य व जिरह की मांग की गई, जिसे आवेदन–पत्र को आदेश दिनांक 18.01.2012 से निरस्त कर दिया गया था एवं प्रकरण अनावेदक के तर्क पर नियत किया गया और आवेदिका का अधिकार समाप्त कर दिया गया। उक्त आवेदन निरस्ती आदेश दिनांक 18.01.2012 के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी माल 25/2011–12 प्रस्तुत की गई, जिस निगरानी को स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 18.01.2012 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया कि वह प्रकरण में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 12.12.2011 का सर्वप्रथम निराकरण करें। तत्पश्चात उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का न्याय संगत यथोचित निराकरण करें। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी में आलोच्य आदेश दिनांक 18.01.2012 के आदेश को पहले ही निरस्त कर दिया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह गलत रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया तथा लिखा गया कि साक्ष्य हक समाप्त होने पर आपत्तिकर्ता को निगरानी न्यायालय में आपत्ति कर साक्ष्य व जिरह की मांग करनी चाहिये थी जो नहीं की। प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता है। तर्क हेतु अनावेदक को समय चाहा दिया जाता है। प्रकरण अंतिम आदेश हेतु पेशी दिनांक 31.05.2014 नियक है। उक्त प्रकरण में आवेदक का निवेदन अस्वीकार कर दिया गया एवं अंतिम आदेश हेतु पेशी 31.05.2014 कर दी गई है। इसलिये उक्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर निराकरण किया जाना अति आवश्यक होगा नहीं तो आवेदिका न्याय से वंचित हो जायेगी। अंत में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक क्र0 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया । अनावेदक क्र0 2 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना पत्र भेजा गया, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में साक्ष्य व प्रतिपरीक्षण का समय मांगा गया साक्ष्य व जिरह की मांग की गई है। जिसके जवाब में अनावेदक जरिये अभिभाषक ने बताया कि विवादित भूमि सर्वे क्र0 के स्वत्व का निराकरण सिविल न्यायालय में हो चुका है। साक्ष्य व जिरह की मांग करना जरूरी नहीं है। इसी स्तर पर तहसीलदार अम्बाह द्वारा आवेदिका के आवेदन को अस्वीकार किया गया है। चूँकि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व का निराकरण सिविल न्यायालय में हो चुका है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश करने का कोई औचत्य नहीं । फिर भी आवेदिका द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 18.01.12 को निरस्त की गई ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन/आपत्ति जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी, सारहीन है। आवेदिका ने अपने पक्ष समर्थन में ऐसा कोई ठोस आधार अथवा प्रमाण न तो इस न्यायालय में पेश किये है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये, जिससे की यह साबित हो सके कि उक्त वादग्रस्त भूमि आवेदिका के स्वत्व की भूमि है। अतः मैं तहसीलदार अम्बाह के द्वारा पारित आदेश से सहमत हॅं। परिणामतः तहसीलदार अम्बाह के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2014 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर